

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निहित पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम) 40/1996 के धारा (4) ख, ग, घ के तहत

ग्रामसभा केरुवाडुंगरी



श्री शंकर राम बेसरा
(ग्राम प्रधान)

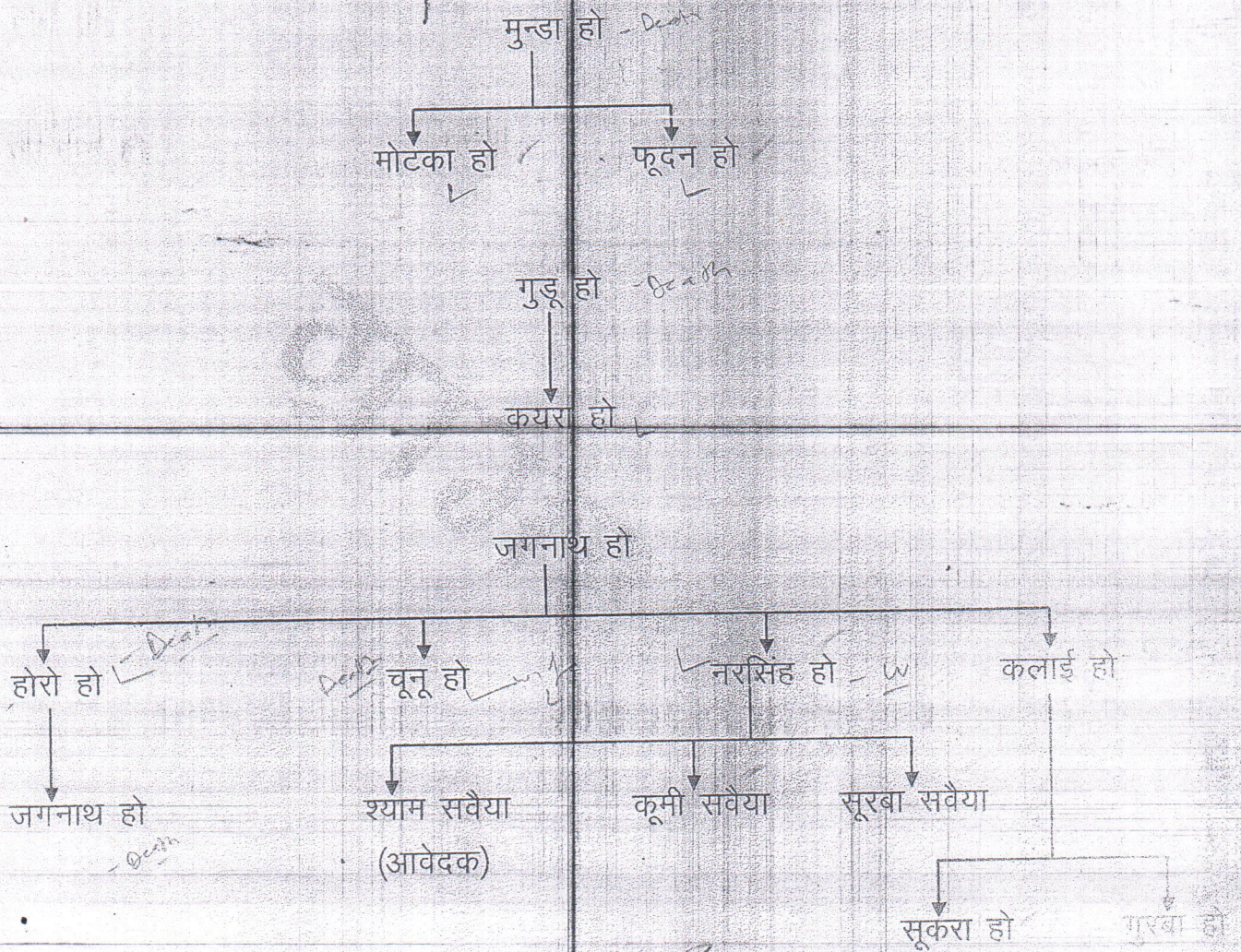
मो0-8709260595,
9470376354

62397005627

टोला - (केरुवा, घोडांगा, आहारघुट्टा, भुडरुडीह, रिदायटांड)
पो0+थाना-सुन्दरनगर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, (झारखण्ड)- 832107

पत्रांक GSKD-31/2024

दिनांक 23/07/2024



अध्यक्ष

श्री शंकर राम बेसरा
केरुवाडुंगरी ग्राम प्रधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निहित पंचायत उपबंध (अनुसूचित
विस्तार अधिनियम) 40/1996 के धारा (8) ख, ग, घ के तहत

ग्राम सभा



बान्दुहड़ांग

पो0+थाना : सुन्दरनगर, जिला : पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड), पिन : 832107

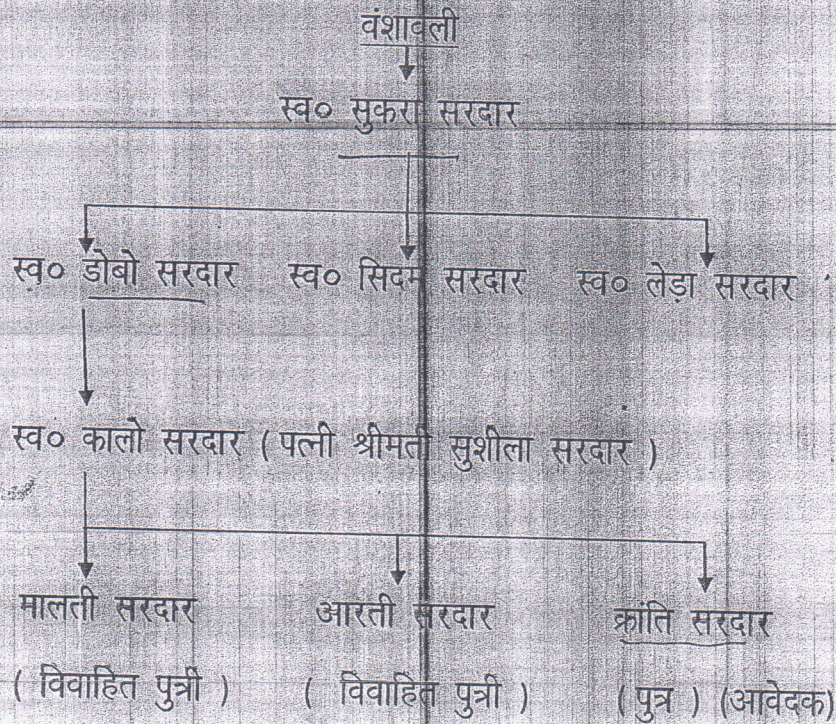
मंगीलाल पारेया
ग्राम प्रधान
9430115393

पत्रांक : 23/2024

दिनांक : 16/7/2024

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्रांति सरदार, पिता - स्व कालो सरदार ग्राम - बान्दुहड़ांग,
पो+थाना - सुन्दरनगर, जिला - पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड का स्थायी निवासी है, इसका वंशावली
इस प्रकार है :-



Gram Pradhan
Mangilal Pareya
At-Banduhurang, P.O. + P.S. - Sundernagar
Eas...

विस्तार अधिनियम) 40/1996 के धारा (8) ख, ग, घ के तहत

बादलदांग

[Faint, illegible handwritten text]



9430157

दिनांक : 23/7/2016

प्रमाण पत्र

East Singhbhum, Jharkhand-826 001

वंशावली

